तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
28/4/22	प्रार्थीगण के वकील उप0। विपक्षीगण की ओर से वकील श्री भगाराम कड़वासरा ने जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि विपक्षीगण द्वारा जवाब के परिशिष्ट "क" पेश किया गया है, जिसका हिस्सा मार्क A से B रंग लाल जिसमें केवल सड़क बनी हुई है, जहां से प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ता किया जा सकता है, जो नजदीक होना बताया, एवं प्रार्थीगण के द्वारा आवेदित रास्ता परिशिष्ट "अ" पर विपक्षीगण के द्वारा ऐतराज प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि तहसीलदार [illegible] के द्वारा नजदीकतम रास्ता परिशिष्ट [illegible] अनुसार होना बताया है व विपक्षीगण के द्वारा ख.नं.

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh
Date: 2022.09.17 14:59:11
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8 व 26 के बीच में कच्ची सड़क बना रखी है, जिसके आगे ख. नं. 9 की भूमि दो भागों में विभक्त होगी, या ख. नं. 9 के सेढ़ा - सेढ़े रास्ता कायम करने पर बहुत लम्बा रास्ता होगा, तथा केवल सड़क से भी सीधा रास्ता ख. नं. 9 की भूमि में स्वीकृत करने पर भी लम्बा रास्ता होता है. प्रार्थीगण के ख.नं. 27व 26 में से आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है. विप्रार्थीगण द्वारा रास्ता परिशिष्ट "ब" में बताया गया है, जहां पर आगे टीबा, धोरा है, जो सुगम रास्ता नहीं है, इसलिए तहसीलदार पचपदरा के इस [illegible] ही उपयुक्त एवं [illegible] स्वीकार करने का निवेदन (के.मा.जा.)	

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या
	प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र को रुकवा करने की बिना के प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पुन: मंगवाने के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
	प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर आदेश हलका से निकाला जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 239/2021

प्रार्थीगण :–

1. वालाराम पुत्र चीमा
2. थानाराम पुत्र चीमा
3. ताजाराम पुत्र सुखा
4. जालाराम पुत्र चूना
5. विरदाराम पुत्र चूना
6. तुलछी पत्नी चूना
7. हड़मान पुत्र देवाराम
8. मोहनराम पुत्र देवाराम
9. कानाराम पुत्र देवाराम
10. चम्पादेवी पत्नी देवाराम
11. कमा पुत्री देवाराम
12. माली पुत्री देवाराम सभी जातियान जाट निवासीयान ग्राम पतासर तहसील पचदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. मालाराम पुत्र पुरखा
2. मगाराम पुत्र पुरखा
3. सुखाराम पुत्र पुरखा
4. धोकलराम पुत्र पुरखा
5. कमीदेवी पत्नी पुरखा
6. बाबुराम पुत्र दाना
7. खेताराम पुत्र दाना
8. नोजी बैवा केसा
9. मथरादेवी बेवा अमरा
10. करनाराम पुत्र अमरा
11. उगडराम पुत्र अमरा
12. पूना पुत्र केसा
13. पेमा पुत्र केसा
14. डूंगरा पुत्र केसा
15. बाबु पुत्र केसा जातियान जाट निवासीयान पतासर पोस्ट बागावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थित :– 1. श्री लाधुराम चौधरी वकील प्रार्थीगण
2. श्री रूघारात कडवासरा वकील विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u> दिनांक :– 28.2.2022

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया [illegible] कि प्रार्थीगण अपने ग्राम पतासर के खेत खसरा नंबर 25 रकबा 62 बीघा 10 [illegible] में आवागमन हेतु खसरा संख्या 26 रकबा 23 बीघा 6 विस्वा एवं खसरा संख्या 27 रकबा 48 बीघा 10 विस्वा में से पतासर से विघमान सडक सोईतरा जाने वाली डामर सडक 15 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/2438 दिनांक 25.1.2022 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा पतासर के खेत खसरा नंबर 25 रकबा 62 बीघा 10 आवेदक के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें में आवागमन हेतु खसरा संख्या 26 रकबा 23 बीघा 6 विस्वा एवं खसरा संख्या 27 रकबा 48 बीघा 10 विस्वा मे से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो उपयुक्त एवं निकटतम है । जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है । प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0–17, 0–16 बीघा कुल रकबा 01–13 बीघा भूमि बनती है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई विप्रार्थीगण की और से वकील श्री रूगाराम कडवासरा ने जबाब पेश कर निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण द्वारा जबाब में परिशिष्ट 'ब' पेश किया गयाहै, जिसका हिस्सा मार्क ए से बी बरंग लाल जिसमें ग्रेवल सडक बनी हुई है, जहां सें प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता दिया जा सकता है जो नजदीक होना बताया एवं प्रार्थीगण के द्वारा आवेदित रास्ता परिशिष्ट 'अ' पर विप्रार्थीगण के द्वारा ऐतराज प्रस्तुत किया गया। तथा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया । प्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा नजदीक तक रास्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार होना बताया है, विप्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 8 व 26 के बीच में अपनी निजी सडक बना रखी है, जिसके आगे खसरा संख्या 9 की भूमि के दो भाग में विभक्त होगी या खसरा संख्या 9 के सेढा सेढ रास्ता कटान करने पर बहुत लम्बा रास्ता होगा, तथा ग्रेवल सडक से भी सीधा रास्ता खसरा संख्या 09 की भूमि स्वीकृत करने पर भी लम्बा रास्ता होता है,खसरा संख्या 9 के दो टुकडे हो जाएगें। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 27 व 26 में से रास्ता निकटतम है, सुगम रास्ता है, विप्रार्थीगण द्वारा रास्ता है परिशिष्ट 'ब' के बताया है जहां पर आगे टीब्बा है, जो सुगम रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट आ चुकी है जो विधि सम्मत है विप्रार्थीगण के द्वारा मौका रिपोर्ट मंगाने के आवेदन को अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त एवं निकटतक होने से स्वीकार करने का निवेदन किया गया। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने को अस्वीकार कर खारीज किया जाता है । प्रार्थीगण के द्वारा आवेदित रास्ता ही निकटतम व सुगम रास्ता प्रतीत होता है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को ... किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण ... प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर मौजा पतासर के खेत खसरा नंबर 25 रकबा 62 बीघा 10 विस्वा में आने हेतु खसरा संख्या 26 रकबा 23 बीघा 6 विस्वा एवं खसरा संख्या 27 रकबा 48 बीघा 10 विस्वा में से 15 फीट चौडा रास्ता सलग्न तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 14.1.2022 में चिन्हित बरंग लाल, के अनुसार रकबा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

क्रमशः 0–17, 0–16 बीघा कुल रकबा 01–13 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण के द्वारा आवेदित रास्ते के लिए प्रस्तावित खसरा नं0 27 व 26 रकबा कमश 0–17, 0–16 बीघा कुल रकबा 01–13 बीघा प्रभावित भूमि की राशि रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में देय है। विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 27 की डी.एल.सी दर 19440 के अनुसार 17 विस्वा भूमि की कीमत 16550 की दुगनी दर 33,100 रूपये एवं खसरा संख्या 26 की डी.एल.सी दर 16380 के अनुसार 16 विस्वा भूमि की कीमत 13,125 की दुगनी दर 26250 रूपये कुल राशि 59350/– रूपये खातेदारान को भुगतान किया जावे यदि संबधित खातेदारान के द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में प्रार्थीगण राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2022 में चिन्हित किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढ़ा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested